झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०)ल०सिं०–राँची–01–03 / 2015 ..... / राँची, दिनांक .....

आदेश

श्री शम्भु प्रसाद सिंह, (ID-J7565) तदेन कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो (सम्प्रति लघु सिंचाई प्रमण्डल, साहेबगंज) के विरूद्ध मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची के कार्यालय आदेश सं०– 1299 दिनांक– 29.06.2013 का अनुपालन नहीं करने एवं अनाधिकृत रूप से कार्य से अनुपस्थित रहने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय आदेश ज्ञापांक– 2980 दिनांक– 18.06.2015 द्वारा निलंबित किया गया तथा अलग से विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय संसूचित किया गया।

श्री सिंह द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त विभागीय आदेश ज्ञापांक– 3351 दिनांक– 24.07.2017 द्वारा निलंबन से मुक्त करते हुए निलंबन अवधि के वेतन आदि के संबंध में निर्णय विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के पश्चात् लेने का आदेश संसूचित किया गया।

श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या– 4666 दिनांक– 31.08.2015 द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–1930 नियम–55 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें निम्न आरोप थे :–

(i) अनाधिकृत रूप से कार्य से अनुपस्थित रहना।

(ii) स्थानान्तरण आदेश सं०–1299 दिनांक– 29.06.2013 का अनुपालन नहीं करना।

उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में उक्त आरोपों को प्रमाणित पाया गया।

श्री सिंह द्वारा इस आरोप के लिए माननीय उच्च न्यायालय, राँची में W.P(S) No. 6422 of 2016 दाखिल किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता योगदान देने का निदेश प्राप्त हुआ।

"In the aforesaid facts, the impugned order dated 18.06.2015 by which the petitioner has been put under suspension and a decision to conduct of departmental proceeding has been taken, was passed. In the writ petition, the petitioner except denying service of the transfer order, has not shown any illegality in the said order. It is not claimed by the petitioner that the suspension order dated 18.06.2015 has been issued by an incompetent authority or that the authority issuing the said order has no jurisdiction. Accordingly, challenge to order dated 18.06.2015 fails. The learned counsel for the petitioner, however, states that subsistence allowance to the petitioner during the period of suspension has not been paid." on the undertaking given on behalf of the respondents for payment of subsistence allowance to the petitioner, the writ petition stands disposed of.

सम्यक् समीक्षोपरान्त उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक– 5246 दिनांक– 07.12.2018 द्वारा निम्न दण्ड प्रस्ताव के साथ द्वितीय कारण पृच्छा किया गया :–

(1) निन्दन

(2) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

(3) 03 (तीन) वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गई। इसमें पूर्व के तथ्यों को ही दोहराया गया है।

अतएव सम्यक् समीक्षोपरान्त द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया :–

(1) निन्दन

(2) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

(3) 03 (तीन) वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार अनुमोदन प्राप्त है।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह०/–
(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 1392 राँची/दिनांक 04/03/19

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका/अवर सचिव, प्रशाखा–03, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो/लघु सिंचाई प्रमण्डल, साहेबगंज/कोषागार पदाधिकारी, बोकारो/कोषागार पदाधिकारी, साहेबगंज/श्री शम्भु प्रसाद सिंह, (ID-J7565) कनीय अभियंता लघु सिंचाई प्रमण्डल, साहेबगंज/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/03/19

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव